

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद  
( अरुण कुमार हसीजा, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित )

नामान्तरण अपील: 23/2024

दायर दिनांक: 06.06.2024

निर्णय दिनांक 11.05.2026

—: अनवान :-

भैरूलाल मुतबन्ना उदयराम जी लौहार आयु वयस्क निवासी कांकरोली तहसील व  
जिला राजसमन्द

— अपीलार्थी

—: बनाम :-

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द तहसील राजसमन्द जिला राजसमंद
2. रेखा टांक पत्नि राजेन्द्र जी टांक आयु वयस्क निवासी पसून्द तहसील राजसमन्द  
जिला राजसमन्द
3. सोसरबाई पत्नि छगनलाल जी टांक आयु वयस्क निवासी मोरचना तहसील राजसमन्द  
जिला राजसमन्द
4. शोभा कंवर पत्नि पर्वतसिंह जी आसिया आयु वयस्क निवासी पसून्द तहसील  
राजसमन्द जिला राजसमन्द
5. सुमन कुंवर पत्नि मनसुखप्रताप आसिया आयु वयस्क निवासी पसून्द तहसील  
राजसमन्द जिला राजसमन्द
6. विनोद कुंवर पत्नि करणसिंह जी चुण्डावत आयु वयस्क निवासी लसानी तहसील  
देवगढ जिला राजसमन्द
7. रेखा पत्नि जितेन्द्र जी टांक आयु वयस्क निवासी पसून्द तहसील राजसमन्द जिला  
राजसमन्द
8. अण्छीबाई पत्नि उदयराम जी लोहार आयु वयस्क निवासी वीरभान जी का खेड़ा  
कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द

— रेस्पोंडेण्टगण



*(Handwritten signature)*

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 2103 स्वीकृत दिनांक 09.02.2024 द्वारा  
तहसीलदार राजसमन्द जिला राजसमन्द

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित:-

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोंडेन्ट संख्या 01
3. श्री अक्षय पालीवाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 से 08

**--:: निर्णय ::--**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरुद्ध तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 2103 दिनांक 09.02.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आसोटिया पटवार हल्का कांकरोली तहसील व जिला राजसमंद में आराजी संख्या 945, 946, 947, 948, 949 950 कुल किता 6 कुल रकबा 1.8869 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वर्णित भूमि उदयराम जी पिता रामलाल जी की थी जिसका विरासत का नामान्तरकरण अकेले रेस्पोंडेन्ट संख्या आठ अण्ठी बाई के नाम पर स्वीकृत हो चुका है जबकि अपीलार्थी उदयराम का गोदपुत्र है और अपीलार्थी के पक्ष में पंजीकृत गोदनामा निष्पादित हो रखा है। उदयराम जी का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1252 दिनांक 22.03.2011 को स्वीकृत किया गया है जो अपीलार्थी की नाबालिग अवस्था में स्वीकृत हुआ है। उक्त नामान्तरकरण की अपील आप न्यायालय में अर्थात् श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय राजसमन्द के यहाँ पर अपील संख्या 04 सन् 2015 बअनवान भैरूलाल बनाम राजस्थान राज्य वगैरा प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन होकर माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर राजसमन्द द्वारा दिनांक 03.06.2015 से उक्त भूमि के संबंध में स्थगन आदेश जारी कर रखा है जो आज भी प्रभावी होकर आगामी सुनवाई दिनांक 18.06.2024 को नियत है। उक्त अपील के विचारण एवं स्थगन के दरम्यान रेस्पोंडेन्ट संख्या एक ने स्थगन की जानकारी होते हुए भी अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर मनमसकूद तीरके से पटवारी हल्का से नया नामान्तरकरण संख्या 2103 भरवा कर दिनांक 09.02. 2024 को स्वीकृत किया गया है जो अवैध एवं विधि विरुद्ध है उक्त प्रकरण में यह स्वीकृत रूप से प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि में अपीलार्थी के पक्ष में पंजीकृत गोदनामा निष्पादित है और पंजीकृत गोदनामे के आधार पर उक्त सम्पत्ति में अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा निहित है लेकिन पंजीकृत गोदनामे के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया है और सीधे ही बिना किसी जाँच के नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है। रेस्पोंडेन्ट संख्या आठ को उक्त भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोंडे संख्या दो से लगायत सात को विक्रय करने का अधिकार नहीं है। उदयराम



*Handwritten signature*

की सम्पत्ति में अपीलार्थी गोद पुत्र होने से 1/2 हिस्सा निहित है ओर अपीलार्थी मौके पर इस जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त कर रहे है। गोदनामे को रेस्पोण्डेंट संख्या आठ ने निरस्त कराने का प्रयास किया था लेकिन इस संबध में रेस्पोण्डेंट संख्या आठ का वाद न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश राजसमन्द द्वारा खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार सिविल न्यायालय द्वारा भी वाद खारिज किये जाने से गोदनामे की पुष्टि हो चुकी हैं। वादग्रस्त सम्पत्ति में अपीलार्थी का हक अधिकार निहित है लेकिन रेस्पोण्डेंट संख्या आठ ने अन्य लोगो के सिखावे में आकर उक्त भूमि पर अपना कब्जा आधिपत्य नहीं होते हुऐ भी जमीन का नुमायशी तोर पर विक्रय पत्र रेस्पोण्डेंट संख्या दो से सात के पक्ष में निष्पादित करा पंजीयन करा दिया हे जो अवैद्य एवं शुन्य है। अपीलार्थी ने अपने पक्ष में निष्पादित गोदनामे के आधार पर उदयराम का वारिस घोषित कराने हेतु न्यायालय वरिष्ठ सिविल जज राजसमन्द में दिनांक 07.01.2015 को वाद पेश किया था जो प्रकरण संख्या 01/2015 ई दी ब अनवान भैरूलाल बनाम अण्छी वगैरा के अनवान से दर्ज रजिस्टर कर वर्तमान में न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल जज राजसमन्द में भैरूलाल बनाम अण्छी वगैरा के अनवान से विचाराधीन है। उक्त वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय द्वारा अस्वीकार किये जाने से अपील माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय राजसमन्द के यहाँ प्रस्तुत की गई है जो विचाराधीन है। वाद के विचारण के दौरान अण्छीबाई द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र रेस्पोण्डेंट संख्या दो से लगायत सात को विक्रय की गई है जो याद के विचारण के दौरान की गई थी। इसलिए उन्हें आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। वाद न्यायालय में विचाराधीन है और वाद के विचारण के दौरान ही किये गये विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने का प्रयास किया गया था जिस पर जिला कलेक्टर महोदय राजसमन्द के यहाँ पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया। न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किये जाने पर विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का कांकरोली द्वारा दिनांक 03.06.2015 को भरे गये नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद रोके जाने का नोट लगाते हुऐ नामान्तरकरण के निर्णय दिनांक 04.06.2015 को स्थगित कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा प्राप्त स्थगन आदेश की जानकारी पटवारी हल्का को प्रारम्भ से रही है लेकिन उन्होनें स्थगन आदेश को ताक में रखते हुऐ मनमकसूद तरीके से उक्त क्रेतागण को लाभ पहुँचाने के उद्येश्य से उनसे मिलीभगत करते हुऐ उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है जबकि अण्छीबाई के नाम पर विरासत से दर्ज भूमि को ही अपीलार्थी ने प्रश्नचिन्ह कर रखा है। विक्रय पत्र को भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह कर रखा है फिर भी सारे तथ्यो को ताक में रखते हुऐ उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है जो विधि के विपरित होकर प्रारम्भ से ही अवैद्य व शुन्य है एवं निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार कुंवारिया द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2103 दिनांक 09.02.2024 को अपास्त फरमाया जावे ।



*Abh*

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित दी तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री अक्षय पालीवाल ने वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार करते हुए धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आसोटिया पटवार हल्का कांकरोली तहसील व जिला राजसमंद में आराजी संख्या 945, 946, 947, 948, 949 950 कुल किता 6 कुल रकबा 1.8869 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वर्णित भूमि उदयराम जी पिता रामलाल जी की थी जिसका विरासत का नामान्तरकरण अकेले रेस्पोंडेन्ट संख्या आठ अण्ठी बाई के नाम पर स्वीकृत हो चुका है जबकि अपीलार्थी उदयराम का गोदपुत्र है और अपीलार्थी के पक्ष में पंजीकृत गोदनामा निष्पादित हो रखा है। उदयराम जी का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1252 दिनांक 22.03.2011 को स्वीकृत किया गया है जो अपीलार्थी की नाबालिग अवस्था में स्वीकृत हुआ है। उक्त नामान्तरकरण की अपील आप न्यायालय में अर्थात् श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय राजसमन्द के यहाँ पर अपील संख्या 04 सन् 2015 बअनवान भैरूलाल बनाम राजस्थान राज्य वगैरा प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन होकर माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर राजसमन्द द्वारा दिनांक 03.06.2015 से उक्त भूमि के संबंध में स्थगन आदेश जारी कर रखा है जो आज भी प्रभावी है। उक्त अपील के विचारण एवं स्थगन के दरम्यान रेस्पोंडेन्ट संख्या एक ने स्थगन की जानकारी होते हुए भी अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर मनमसकूद तीरके से पटवारी हल्का से नया नामान्तरकरण संख्या 2103 भरवा कर दिनांक 09.02. 2024 को स्वीकृत किया गया है जो अवैध एवं विधि विरुद्ध है उक्त प्रकरण में यह स्वीकृत रूप से प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि में अपीलार्थी के पक्ष में पंजीकृत गोदनामा निष्पादित है और पंजीकृत गोदनामे के आधार पर उक्त सम्पत्ति में अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा निहित है लेकिन पंजीकृत गोदनामे के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया है और सीधे ही बिना किसी जाँच के नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है। रेस्पोंडेन्ट संख्या आठ को उक्त भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोंडे संख्या दो से लगायत सात को विक्रय करने का अधिकार नहीं है। उदयराम की सम्पत्ति में अपीलार्थी गोद पुत्र होने से 1/2 हिस्सा निहित है और अपीलार्थी मौके



*Handwritten signature*

पर इस जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त कर रहे हैं। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2103 दिनांक 09.02.2024 को अपास्त फरमाया जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा नामान्तरकरण में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 से 08 ने अपनी बहस में निवदेन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा नामान्तरकरण में कोई त्रुटि कारित नहीं है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 08 ने अपने हक अधिकार की भूमि का विक्रय किया हैं। जिसका उसे पूर्ण अधिकार है। अपीलान्ट ने न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल जज राजसमन्द में भैरूलाल बनाम अण्छी वगैरा के अनवान से स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पो किया। जिसे भी माननीय न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज फरमायी जावे।


उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत नामान्तरण के संबंध में अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा विचारणीय अपील तहसीलदार राजसमन्द द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 2103 दिनांक 09.02.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। इस अपील में मुख्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय का स्थगन प्रथावी होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरण फैसल कर दिया जो नहीं किया जाना चाहिए था। इस संबंध में हमने इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 25/2014 तथा उसके साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र 04/2015 की पत्रावली का अवलोकन किया। इन पत्रावलीयों के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 1253 दिनांक 22.03.2011 के संबंध में स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिनांक 03.06.2015 को जारी किये गये थे। परन्तु यह आदेश आगामी पेशी दिनांक 16.06.2015 तक ही प्रभावी थे। उक्त आदेश को दिनांक 16.06.2015 के बाद दिनांक 25.08.2015 तथा बाद में 01.09.2015 तक ही बढ़ाया गया था। इसके बाद स्थगन को बढ़ाये जाने का कोई आदेश अंकित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 2103 दिनांक 09.02.2024 स्वीकृत करते समय कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था तथा उक्त नामान्तरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया। अतः मैं इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाता हूँ। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।



*[Handwritten signature]*


:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। तथा तहसीलदार राजसमन्द द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2103 दिनांक 09.02.2024 को यथावत रखा जाता है।

  
(अरुण कुमार हसीजा)  
जिला कलक्टर  
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 11.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(अरुण कुमार हसीजा)  
जिला कलक्टर  
राजसमंद